(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं. 49/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 14 मार्च, 2022

विषयः उदगम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत, विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के परिशिष्ट–2ड. के तहत एजेंसी को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा निम्नलिखित एजेंसी को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत करते हैं:

मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री,
मेवाड़ चेम्बर भवन,
नागोरी गार्डन,
भीलवाडा–311001 (राजस्थान)
दूरभाष - फैक्स 01482 - 220908, 238948
ई–मेलः mcci@mccibhilwara.com,
वेबसाइटः www.mccibhilwara.com

2. तदनुसार, मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री का नाम एफटीपी (2015–20) के परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2ड. [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम सं. 6 (राजस्थान) पर जोड़ा जाता है।

3. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः**

विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के परिशिष्ट 2ड. के तहत मेवाड़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्डस्ट्री को उद्गम प्रमाण पत्र (गैर–तरजीही) जारी करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
14.3.2022

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

[फा. सं. 01/93/180/01/एएम–20/पी.सी.II(बी)/**खण्ड**.1 / ई–23274 से जारी]